योजना का नाम– मा0 मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना

1. मा0 मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के 100 बालक एवं 100 बालिका अर्थात् कुल 2600 खिलाड़ियों (1300 बालक एवं 1300 बालिका) को एक वर्ष तक प्रतिमाह रू0 2000/– की छात्रवृत्ति प्रदान एवं वर्ष में एक बार खेलकूद उपकरण हेतु रू0 10,000.00 की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।
2. छात्रवृत्ति केवल 14 से 23 आयु तक (14–17 वर्ष, 17–19 वर्ष, 19–21 वर्ष, 21–23 वर्ष के प्रत्येक आयुवर्ग के 25 बालक एवं 25 बालिका खिलाड़ी) के प्रति जनपद 200 खिलाड़ियों को दी जाएगी।
3. छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु निम्नाकिंत स्तर पर प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थियों द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रतिभाग किया जायेगा। तदोपरान्त चयन विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षण के आधार पर किया जायेगा, जिसके अंतिम चयन की प्रक्रिया जनपद स्तर पर होगी। संपूर्ण चयन प्रक्रिया जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति के पर्यवेक्षण में सम्पन्न होगी।

क्र. सं.	स्तर	प्रतिभागी स्रोत	अगले चरण हेतु चयनित संख्या
1	(क) प्रत्येक नगर पालिका स्तरीय चयन समिति	स्वतंत्र रूप से प्रतिभाग	जनपद स्तर हेतु– **(क) नगर पालिका से–** 01 बालक एवं 03 बालिका प्रति आयु वर्ग प्रति खेल (मात्र जनपद रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत हेतु प्रति नगर पालिका– 03 बालक एवं 02 बालिका प्रति आयुवर्ग प्रति खेल)
2	(ख) प्रत्येक नगर निगम/ विकास खण्ड से	स्वतंत्र रूप से प्रतिभाग	जनपद स्तर हेतु– **(क) नगर निगम से–** 02 बालक एवं 02 बालिका प्रति आयु वर्ग प्रति खेल **(ख) विकास खण्ड से –** 02 बालक एवं 02 बालिकाएं प्रति आयुवर्ग प्रति खेल (मात्र जनपद रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत हेतु प्रति विकास खण्ड– 05 बालक एवं 05 बालिका प्रति आयुवर्ग प्रति खेल) (नगर पंचायत के अभ्यर्थी निकटस्त विकास खण्ड में प्रतिभाग करेगें)

4. प्राथमिकता के आधार पर निम्न खेलों में ही छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी–
   (1) एथलेटिक्स (2) बैडमिंटन (3) बॉक्सिंग (4) ताईक्वांडो (5) कबड्डी (6) फुटबॉल
   (7) वॉलीबॉल (8) बास्केटबॉल (9) हॉकी (10) टेबल टेनिस (11) कराटे (12) जूडो
5. आयु की गणना चयनित वर्ष के 01 जुलाई से की जायेगी अर्थात् किसी आयुवर्ग में सम्मिलित होने के लिए उसका जन्म संबंधित वर्ष के 01 जुलाई या इसके बाद का होगा।

6. उक्त योजना हेतु आवेदक खिलाड़ी उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी होगा तथा उस जनपद जहां के लिए वह आवेदन कर रहा है वहां यदि वह शिक्षारत् है अथवा उस जिले के निवास संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगा तभी वह उस जिले से आवेदन करने का पात्र होगा।
7. ऐसे बालक एवं बालिकाएं जो राज्य सरकार अथवा भारतीय खेल प्राधिकरण के अधीन खेल छात्रावास अथवा स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रशिक्षणरत् है, वो सभी इस खेल छात्रवृत्ति योजना के लिए अपात्र होगें।
8. चयन प्रक्रिया **खेल स्किल टेस्ट एवं निम्न शारीरिक दक्षताओं** के आधार पर किया जायेगा–
(1) 30 meter flying Run **(2)** Standing Broad Jump, **(3)** Forward Bend & Reach,
(4) 6X10 Shuttle Run **(5)** Medicine Ball Put **(6)** 600 Meter Run
9. चयन प्रक्रिया हेतु स्थल एवं तिथियों की जानकारी हेतु संबंधित जिला क्रीड़ाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।
10. जनपद स्तर पर चयनित होने के लिए न्यूनतम अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
11. आयु प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड एवं स्थायी निवास प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति, प्रतिभागी को साथ लाना अनिवार्य है।
12. योजना के संबंध में अधिक जानकारी संबंधित जनपद के जिला खेल कार्यालय एवं खेल विभाग की बेवसाईट www.sports.uk.gov.in/Scholarship से प्राप्त किया जा सकता है।